भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4377

20 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

मध्य प्रदेश में अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना

†4377. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

श्री विजय बघेलः

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के मुख्य उद्देश्य और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन-सा नोडल विभाग जिम्मेदार है; और

(ग) उक्त योजना के वित्तपोषण तंत्र का ब्यौरा क्या है और यह मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर क्षेत्र को किस प्रकार लाभान्वित करेगी?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के मुख्य उद्देश्य: 1) निजी क्षेत्र को, उभरते क्षेत्रों और आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, 2) प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) 4 और उससे अधिक के उच्च स्तर पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना, 3) महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व वाली प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करना, और 4) डीप-टेक फंड की स्थापना को सुकर बनाना हैं। छह वर्षों की अवधि के लिए ₹1 लाख करोड़ के कुल परिव्यय वाली आरडीआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को मंजूरी दी थी। योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा वर्तमान में विकासाधीन है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देश भर में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग है।

(ग) इस योजना का संचालन अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) के माध्यम से दो-स्तरीय वित्तपोषण तंत्र का उपयोग करके किया जाएगा:

- प्रथम स्तर: एएनआरएफ के अंतर्गत एसपीएफ, निधि का प्रथम संरक्षक होगा;
- द्वितीय स्तर: योजना का कार्यान्वयन द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधक निम्न प्रकार के हो सकते हैं: वैकल्पिक निवेश निधि संरचना (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई), गैर-बैंकिंग वित्त निगम (एनबीएफसी) और केंद्रित अनुसंधान संगठन (एफआरओ), जैसे - प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), आईआईटी अनुसंधान पार्क आदि।

देश भर में प्रतिस्पर्धी आधार पर निम्न या शून्य ब्याज दरों पर असुरक्षित दीर्घकालिक ऋणों के रूप में वित्तपोषण उपलब्ध होगा, जिससे देश भर के हितधारकों को लाभ होगा। चुनिंदा मामलों में, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए इक्विटी-आधारित वित्तपोषण भी किया जा सकता है। डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) या अन्य आरडीआई-केंद्रित एफओएफ में योगदान पर भी विचार किया जा सकता है।

*****